परिचय

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के सुनियोजित आर्थिक विकास, अवस्थापना–संसाधनों के निर्माण तथा रोजगार के सतत् अवसर सृजित करने को प्रमुखता प्रदान की गई है । वर्ष 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारम्भ हुआ एवं तदोपरान्त ग्राम्य विकास विभाग की स्थापना हुई।

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित विभिन्न योजनायें/कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है। योजनाओं की गतिशीलता एवं लक्ष्योन्मुख सफलता हेतु कार्य स्वभाव से सम्बन्धित विभागों का कार्यान्वयन में योगदान प्राप्त किया जा रहा है। योजनाओं का प्रत्येक स्तर पर प्रत्यक्ष लाभ जनसामान्य को मिल सके, इस हेतु ग्रामीण विकास योजनाओं में पंचायती राज संस्थाओं की भी भागीदारी प्राप्त की जा रही है। योजनाओं के प्रभावी नियोजन, कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं अनुसरण तथा समन्वय के दृष्टिगत् 1985 में आयुक्त, ग्राम्य विकास का पद सृजन किया गया। आयुक्त के माध्यम से राज्य स्तर से लेकर मण्डल, जनपद, विकासखण्ड एवं ग्राम सभा इकाई तक विकास हेतु सघन प्रयास किये जा रहे हैं।

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा विभिन्न लक्षित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अलग–अलग योजनायें यथा **प्रधान मंत्री आवास योजना– ग्रामीण , महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन,, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण पेयजल योजना, विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि (विधायक निधि), अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, लोहिया ग्रामीण आवास योजना एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना , समाजवादी शुद्ध पेयजल सेवा योजना** क्रियान्वित की जा रही हैं प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित विकास एजेण्डा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रशासनिक व्यवस्था

विभिन्न स्तरों पर मुख्यालय, मण्डलों, जिला तथा विकास खण्ड स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

1. **शासन स्तर पर सचिवालय**

प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग/सचिव, ग्राम्य विकास/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, ग्राम्य विकास तथा अनुभाग।

2.

विभागाध्यक्ष (मुख्यालय) 1–आयुक्त, ग्राम्य विकास । 2–अपर आयुक्त (लेखा/ कार्यक्रम/ प्रशासन)। 3–संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय/ प्रशासन) । 4–मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी। 5–वरिष्ठ उपायुक्त। 6–उपायुक्त। 7–वित्त एवं लेखाधिकारी । 8–सहायक आयुक्त । 9–सहायक लेखाधिकारी **महात्मा गांधी नरेगा सेल** 1–रोजगार गारंटी आयुक्त। 2–अपर आयुक्त 3–मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी। 4–उपायुक्त 5–सहायक आयुक्त	**यू0पी0आर0आर0डी0ए0** 1–मुख्य कार्यपालक अधिकारी। 2–अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी। 3–उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी। 4– वित्त नियंत्रक । 5–राज्य गुणवत्ता समन्वयक, राज्य तकनीकी अधिकारी । 6–वरिष्ठ अभियन्ता (गुणवत्ता नियंत्रण) **सोशल आडिट निदेशालय :–** 1–निदेशक सोशल आडिट 2–अपर निदेशक– वित्त 3–उपायुक्त।	**राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन** 1–मुख्य कार्यपालक अधिकारी। 2–मिशन निदेशक । 3–अपर मिशन निदेशक । 4–संयुक्त मिशन निदेशक । 5–प्रोफेशनल्स

3. मण्डल स्तर :–

मण्डल स्तर पर विभाग के कार्यक्रमों के प्रभावी ढंग से संचालन, अनुश्रवण व पर्यवेक्षण के लिये मण्डल स्तर पर संयुक्त विकास आयुक्त के पद सृजित हैं।

4. जिला स्तर :–

जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों के सुव्यवस्थित एवं प्रभावी संचालन हेतु प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में जिला स्तर पर सृजित किये गये पदों का विवरण निम्नवत् है :–

1. मुख्य विकास अधिकारी।
2. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ।
3. जिला विकास अधिकारी।
4. परियोजना निदेशक।
5. उपायुक्त श्रम/ स्वतः रोजगार
6. सहायक परियोजना अधिकारी।
7. अपर परियोजना निदेशक।
8. परियोजना अर्थशास्त्री।
9. सहायक अभियन्ता।

5. विकास खण्ड स्तर :–

विकास खण्ड पर खण्ड विकास अधिकारी के पद सृजित हैं। इनकी सहायता हेतु सम्बन्धित योजनाओं के सहायक विकास अधिकारी तथा संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी के पद भी सृजित हैं।

6. ग्राम स्तर :–

ग्राम स्तर पर कार्य संचालन का उत्तरदायित्व ग्राम विकास अधिकारी का है जो विषयवस्तु विशेषज्ञ (सहायक विकास अधिकारियों) के सहयोग से कार्य करते हैं।

7. दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान (मुख्यालय लखनऊ) :–

इस विभाग का संचालन एक पृथक महानिदेशक द्वारा किया जाता है। महानिदेशक की सहायता हेतु अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक तथा शोध अधिकारी के पद सृजित हैं।

7. (अ) मण्डल स्तर पर क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान तथा कतिपय जनपदों में जिला ग्राम्य विकास संस्थान कार्यरत हैं । जनपद स्तर पर जिला प्रशिक्षण अधिकारी कार्यरत हैं।

8. उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद, उत्तर प्रदेश :–

इस विभाग का संचालन आयुक्त, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद द्वारा किया जाता है। आयुक्त की सहायता हेतु संयुक्त आवास आयुक्त, सहायक आवास आयुक्त एवं वित्त नियन्त्रक के पद सृजित हैं।

9. राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश :–

परियोजना के प्रबन्धन हेतु ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत राज्य स्तर पर गठित शीर्ष समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव एवं उपाध्यक्ष कृषि उत्पादन आयुक्त हैं तथा कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट में एक पूर्णकालिक निदेशक का पद सृजित है। यह एक रजिस्टर्ड सोसायटी है।

10–उ0प्र0ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण :–

अभिकरण का संचालन मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा किया जाता है। अभिकरण में विभिन्न अधिकारियों के मध्य समन्वय हेतु अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी का एक पद सृजित किया गया है। अभिकरण का वित्तीय प्रबन्धन वित्त नियंत्रक द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, जबकि अभिकरण के तकनीकी कार्यो के लिये मुख्य अभियन्ता, राज्य गुणवत्ता समन्वयक, राज्य तकनीकी अधिकारी एवं वरिष्ठ अभियन्ता (गुणवत्ता नियंत्रण) के पद हैं। अभिकरण की सूचना प्रबन्धन व्यवस्था हेतु आई0टी0 कोआर्डिनेटर, एम एण्ड ई स्पेशलिस्ट एवं सूचना अधिकारी के पद है जबकि अभिकरण के सामान्य प्रशासनिक कार्यो हेतु उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पद सृजित है।

11–राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन :–

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के क्रियान्वयन के लिये मुख्यालय पर शीर्ष संस्था के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सोसायटी का गठन किया गया है। सोसायटी की जनरल बाडी के अध्यक्ष मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन हैं। प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश शासन समिति के उपाध्यक्ष है।

राज्य स्तर पर आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी0ई0ओ0) है तथा उनके अधीन मिशन निदेशक, अपर मिशन निदेशक, संयुक्त मिशन निदेशक तथा प्रोफेशनल्स की टीम का प्राविधान है। इसी प्रकार जिले स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी के अधीन परियोजना निदेशक एन.आर.एल.एम. तथा प्रोफेशनल की टीम का प्राविधान है। विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में प्रोफेशनल्स की टीम का प्राविधान है।

12. महात्मा गांधी नरेगा राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ :–

इसका संचालन रोजगार गारंटी आयुक्त द्वारा किया जाता है। रोजगार गारंटी आयुक्त की सहायता हेतु अपर आयुक्त, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, उपायुक्त एवं सहायक आयुक्त कार्यरत हैं।

13–सोशल आडिट निदेशालय :–

भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में मनरेगा के कार्यो की सोशल आडिट किये जाने हेतु सोशल आडिट निदेशालय स्थापित किया गया जिसका संचालन निदेशक सोशल आडिट द्वारा किया जाता है। निदेशालय सोशल आडिट के अन्तर्गत यह देखा जाता है कि मनरेगा एवं इन्दिरा आवास के कार्यक्रमों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही के मानकों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। निदेशक सोशल आडिट की सहायता हेतु दो विशेषज्ञों, सोशल आडिट विशेषज्ञ एवं वित्त विशेषज्ञ की तैनाती की गयी है।